रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568] **नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 5, 2014/कार्तिक 14, 1936**

No. 568] **NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 2014/KARTIKA 14, 1936**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 774(**अ**).—केंद्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 17 के उप-नियम (2क) का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त नियमों के, नियम 17क में,-

(क) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--"(2) उप खंडस्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति में उप-खंड से राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद् के सदस्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य, पुलिस उप-अधीक्षक, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित दो से अनधिक अशासनिक सदस्य और गैर सरकारी संगठनों से सहयुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न प्रवर्गों से दो से अनधिक सदस्य होंगे।";

(ख) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3) उप खंड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव क्रमश: उपखंड मजिस्ट्रेट और ब्लॉक विकास अधिकारी होंगे ।";

(ग) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(4) उपखंड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी" ।

[फा. सं. 11012/2/2008/पीसीआर(डेस्क)]

संजीव कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूलनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i)में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 316(अ) तारीख 31 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सा.का.नि. 416(अ), तारीख 23 जून, 2014 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2014

G.S.R. 774(E).---In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 23 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, namely:-

1. (1)These rules may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 17, sub-rule (2A) shall be omitted.

3. In the said rules, in rule 17A,--

(a) for sub-rule(2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

" (2) The sub-division level vigilance and monitoring committee shall consist of members of State Legislative Assembly and State Legislative Council from the sub-division, elected members of Panchayati Raj Institutions belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, Deputy Superintendent of Police, Tehsildar, Block Development Officer, not more than two non -official members belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and not more than two members from the categories other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes having association with non-Government organisations.";

(b) for sub-rule(3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) The Sub-Divisional Magistrate shall be the Chairperson and the Block Development Officer, the Member Secretary, respectively of the sub-division level vigilance and monitoring committee.";

(c) after sub-rule(3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) The sub-division level vigilance and monitoring committee shall meet at least once in three months".

[F. No. 11012/2/2008-PCR (Desk)]

SANJEEV KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section(i) *vide* notification number G.S.R. 316(E), dated the 31st March, 1995 and lastly amended vide notification G.S.R. No. 416(E), dated the 23rd June, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054